**न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,**
**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।**

**उपस्थित** :– **(वीरेन्द्र कुमार चौबे)**
**प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**–सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,**
**मधेपुरा ।**

## A.B.P. No.-257/2026
## मधेपुरा एस.सी./एस.टी. थाना कांड सं.–33/2025

1- मनोहर मंडल उम्र करीब 65 वर्ष पिता स्व0 सरयुग मंडल
2- अजय राजभर उम्र करीब 40 वर्ष पिता मनोहर मंडल
3- शोभा देवी उम्र करीब 60 वर्ष पिता स्व0 धरनी मंडल
4- रेखा देवी उम्र करीब 42 वर्ष पति धनश्याम मंडल
(सभी साकिन –रामपुर वार्ड नं0–11, थाना–सिंहेश्वर एवं जिला–मधेपुरा)

.....आवेदकगण।

**बनाम्**

बिहार सरकार .....ओ.पी.।

**07-03-2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण **मनोहर मंडल, अजय राजभर, शोभा देवी, रेखा देवी,** के द्वारा मधेपुरा एस.सी./एस.टी. थाना कांड संख्या–33/2025 अन्तर्गत धारा 126(2),115(2), 303(2),352,3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(i)(r), 3 (i)(s),3(2)(va) SC/ST Act में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विद्वान लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर यादव को दी जा चुकी है।

सूचक रौशन कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामल संक्षेप में यह है कि सूचक महादलित परिवार का एक सदस्य है। उसकी भूमि मोजा –रामपुर थाना नं. –202, अंचल– सिंहेश्वर, खाता नया–355, खेसरा नया– 737, रकवा–05 कट्ठा जिसे उसके दादाजी स्व0 जगदीश राम ने केवाला से खरीद किया था, के साथ–साथ उसका अरिया महानंद झा, गिरजानंद झा की उक्त खाता खेसरा की भूमि रकवा–01 बिघा 03 कट्ठा 03 धुर भूमि में गेहूँ की फसल के लिए दिनांक– 28.11.2025 समय करीब 5 बजे शाम खेत जोतवा कर गेहूँ बोग किया था कि मनोहर मंडल, जयप्रकाश राजभर, अजय राजभर, कुलदीप कुमार, मनिया देवी, शोभा देवी, कांती देवी, बेनी देवी, निशा देवी, रेश्मा देवी, रविता देवी, रेखा देवी, अपने–अपने हाथ में हड़वे हथियार लाठी, कचिया, थ्रीनट से लैश होकर आए और सभी उसे उसके जाति चमार शब्द से गाली देते हुए बोले कि साला चमरा खेत में हीं दफना देंगे, खेत में गेहूँ क्यों लगाया। जब उसने उनका विरोध किया तब रेखा देवी उसके मफलर को कसकर पकड़कर उसे थप्पड़ से मारने लगी। जबकि अजय राजभर ने उसे गरदनिया देकर धकेलते हुए कहा कि चमरा साला खेत करने नहीं देंगे, कोई बभना तुमको काम नहीं देगा। उसने उनका विरोध किया तो मनोहर

07-03-2026
लगातार.....

मंडल एवं कुलदीप कुमार ने उसके मफलर को दोनों तरफ से खींचने लगे कहते हुए कि ओम प्रकाश राजभर उर्फ रेशमलाल ने खबर किया है कि अगर चमरा खेत खाली नहीं करे तो उसको जिंदा नहीं छोड़ना वह फरिया लेगें। दोनों ओर से मफलर खीचे जाने से वह धिधयाने लगा, उसका दम घुटने लगा तब तक हो हल्ला की आवाज पर आस पड़ोस के लोग ब्रजकिशोर कुमार गिरजानंद झा, महानंदझा छोटु कुमार सिंह, अमित कुमार एव प्रमोद शर्मा एवं अन्य बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर अजय राजभर ने थ्रीनट से हवाई फायर किया। शोभा देवी ने उसके हाथ से सोने का अंगुठी चार आना भर कीमत करीब 30,000/–रूपया रविता देवी ने उसके जेब से 2500/–रूपया निकल ली और सभी भाग गए और उसकी जान बच सकी। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य नामजद अभियुक्तगण के विरूद्व मधेपुरा एस.सी./एस.टी. थाना कांड संख्या–33/2025 अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),303(2), 352,3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(i)(r), 3 (i)(s),3(2)(va) SC/ST Act के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार यादव द्वारा यह अभिवाचित किया गया है कि उक्त वाद के उपरोक्त अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष तथा बेकसुरवार व्यक्ति है तथा झूठे वाद में फॅसाये गये हैं तथा इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। प्रार्थी संख्या–1 मनोहर मंडल तथा प्रार्थी संख्या– 2 अजय राजभर के उपर अपराधिक इतिहास इस प्रकार है सिंहेश्वर थाना कांड़ संख्या–446/2024 है। प्राथमिकी में लगाये गये धाराएँ सिर्फ 303(2) बी.एन.एस. तथा एस.सी. एस.टी.एक्ट को छोड़कर सभी धाराएँ जमानतीय हैं केस को भारी भरकम बनाने वास्तजे ये धाराएँ लगाये गये हैं। सिंहेश्वर थाना कांड़ संख्या– 446/24 में पलटा केस भी किया गया है जो जमीन संबंधी विवाद को लकर हुआ था। प्रस्तुत मुकदमा में अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है। प्रस्तुत मुकदमा के सूचक एवं अभियुक्तगण के बीच जमीन संबंधी विवाद है जिस खाता, खेसरा की जमीन का चर्चा सूचक द्वारा प्राथमिकी में की गयी है। वह जमीन अभियुक्तगण की खतियानी जमीन है तथा डिग्री प्राप्त जमीन है एवं प्रार्थीगण को अद्यतन मालगुजारी रसीद प्राप्त है। सूचक द्वारा यह कहा गया है कि खेत में गेहूँ लगाने नहीं देगे जबकि ऐसी बात नहीं है बल्कि अभियुक्तगण द्वारा गेहूँ का फसल लगाया गया है। जिस जमीन की बात सूचक द्वारा कही गयी है वह जमीन फर्जी तरीका से सूचक द्वारा गलत जाल फरेबी केवाला किया है। जिसे न्यायालय द्वारा गलत करार दिया गया है। सूचक द्वारा कहा गया है कि रेखा देवी मफलर पकड़ कर थप्पड़ से मारने लगा यह सारा बात गलत है। शोभा देवी ने उसके हाथ से सोने का अंगूठी छीन लिया यह भी बात सरासर गलत है क्योंकि महिला होकर पुरूष से जबरन अंगूठी नहीं छीन सकती है। उल्टे सूचक प्रार्थी के खेत को जबरन जोतवा रहा था मना करने पर थाना जाकर यह गलत केस अभियुक्त लोगों पर कर दिया है। प्रार्थीगण अच्छे परिवार से आते हैं। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय की संतोषप्रद एवं

**07-03-2026**
**लगातार.....**

पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहे हैं कि प्रस्तुत मामला आवेदक अभियुक्तगण द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 से बाधित है। अतः मामले के गुणा–गुण पर विचार किये ही बिना पोषणीयता के बिन्दु पर खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के लिखित आवेदन एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व यह अभियोग लगाया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक द्वारा खाता नया –355, खेसरा नया–737 रकवा–05 कट्ठा भूमि में गेहूँ की फसल बौग करने पर अभियुक्तगण द्वारा हरवे हथियार कचिया, थ्रीनट से लैश होकर जाति सूचक शब्द चमार कहकर गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने तथा सोने की अंगुठी आदि ले लेने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा–02 में सूचक ने अपने पुनः बयान, कांड दैनिकी के पारा–06,07 में साक्षी हरिबल्व मंडल, गुरू प्रसाद राजभर ने प्राथमिकी के अनुसार घटना का समर्थन किया है। कांड़ दैनिकी के पैरा– 13 में जख्मियों के जख्म का उल्लेख किया गया है। कांड़ दैनिकी के पैरा– 53 में अभियुक्त मनोहर मंडल एवं अजय राजभर के विरूद्व एक अपराधिक इतिहास सिंहेश्वर थाना कांड़ संख्या– 446/24 दर्ज होने की बात कही गयी है। धारा SC/ST Act के अन्तर्गत दण्डनीय प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि आवेदक अभियुक्तगण द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तुत आवेदन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 में वर्णित प्रावधानों से वाधित है। अतः ऐसी स्थिति में जमानत मंजूर करने या न करने का प्रश्न ही नहीं है, परिणामस्वरूप उक्त आवेदन पोषणीयता के बिन्दु पर ही प्रस्तुत मामले के गुणा–गुण पर विचार किये बिना ही आवेदक अभियुक्तगण **मनोहर मंडल, अजय राजभर, शोभा देवी, रेखा देवी,** का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। **आवेदक अभियुक्तगण यदि चाहे तो निम्न न्यायालय में आत्म–समपर्ण कर नियमित जमानत हेतु याचना कर सकते हैं।**

लेखापित

Virendra Kr Choubey

**(वीरेन्द्र कुमार चौबे)** 7/3/26
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।